न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 671 / 2024
अनवान : –

1. प्रशा राम पुत्र हरदत जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र कृष्ण बैरड़ जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. हरदत पुत्र भागमल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. विकास कुमार पुत्र हरदत जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. दर्शना पुत्री हरदत जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. कृष्ण बैरड़ पुत्र भागमल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. सुनिता पुत्री कृष्ण बैरड़ जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. राजबाला पुत्री कृष्ण बैरड़ जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. भरतसिंह पुत्र भागमल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. शैलेन्द्र पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. प्रमोद कुमार पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
10. शेरा पत्नी स्व0 भागमल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर–फौत।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः-05/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 84 / 87 की कुल 5.7790 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 26 / 43 की कुल 23.2180 हैक्ट भूमि में से 1323 / 17860 हिस्सा भूमि भागमल पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

भागमल पुत्र चुन्नीराम जो की वादीगण का दादा है का देहान्त हो चुका है। भागमल पुत्र चुन्नीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ता 10 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वदीगण के दादा ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्रगणों के नाम रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 112 / 116 की कुल 10.1300 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2109 / 50650 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1054 / 25325 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1054 / 25325 हिस्सा भूमि खरीद कर दर्ज करवा दी थी। उक्त वाद भूमि विरासतन प्रतिवादीगण संख्या 1, 4, 7, 10 के नाम [illegible] है। प्रतिवादीगण संख्या 3, 5 ता 6, 10 ने अपना हक हिस्सा वादीगण [illegible] के पक्ष में परित्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 84 / 87 की कुल 5.7790 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 26 / 43 की कुल 23.2180 हैक्ट भूमि में से 1323 / 17860 हिस्सा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 8 के नाम यथावत रहेगी तथा मृतक भागमल उर्फ भागुराम पुत्री चुन्नीराम का नाम कलमजन करवा इन्ही आशयों की वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा दुर्जाना खाता सं0 112, जमाबंदी सम्वत 2074–77 रोही मौजा भोगराना खाता सं0 26, जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा दुर्जाना खाता सं0 84, मृत्यु प्रमाण पत्र शेरा, मृत्यु प्रमाण पत्र भागुराम व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा भागुराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज है भागुराम पुत्र चुनीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के दादा ने प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 व 7 के नाम अन्य भूमि खरीद कर दर्ज करवा दी। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को [illegible] इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतरा[illegible] फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन [illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 84/87 की कुल 5.7790 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 26/43 की कुल 23.2180 हैक्ट भूमि में से 1323/17860 हिस्सा भूमि भागमल पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादा भागमल पुत्र चुन्नीराम के नाम दर्ज है भागमल पुत्र चुन्नीराम का देहान्त हो चुका है भागमल पुत्र चुन्नीराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या भागमल के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 84/87 की कुल 5.7790 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 26/43 की कुल 23.2180 हैक्ट भूमि में से 1323/17860 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं उक्त दोनों खातों में मृतक भागमल उर्फ भागुराम पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 671/2024

अनवान : –

1. प्रशा राम पुत्र हरदत जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र कृष्ण बैरड़ जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. हरदत पुत्र भागमल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. विकास कुमार पुत्र हरदत जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
3. दर्शना पुत्री हरदत जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. कृष्ण बैरड़ पुत्र भागमल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
5. सुनिता पुत्री कृष्ण बैरड़ जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. राजबाला पुत्री कृष्ण बैरड़ जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. भरतसिंह पुत्र भागमल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. शैलेन्द्र पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. प्रमोद कुमार पुत्र भरतसिंह जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
10. शेरा पत्नी स्व0 भागमल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर–फौत।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 671 सन 2024 निर्णय दिनांक – 05/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता संख्या 84/87 की कुल 5.7790 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता संख्या 26/43 की कुल 23.2180 हैक्ट भूमि में से 1323/17860 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं उक्त दोनों खातों में मृतक भागमल उर्फ भागुराम पुत्र चुन्नीराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/[illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर